

भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-1943
उत्तर देने की तारीख-05/08/2026

प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों की स्थिति

1943 श्री जावेद अली खान:

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आज की तिथि तक समग्र शिक्षा अभियान (एसएसए) के अंतर्गत वित्तपोषित प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के 12 लाख से अधिक पद रिक्त हैं;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा वर्ष 2024 एवं 2025 के दौरान एसएसए के अंतर्गत वित्तपोषित विद्यालयों में शिक्षकों के इन रिक्त पदों को भरने के लिए राज्य सरकारों को परामर्शी जारी किए गए थे; और

(घ) यदि हाँ, तो उक्त परामर्शियों का अनुपालन करने वाले राज्यों तथा वर्ष 2024, 2025 एवं 2026 के दौरान, आज की तिथि तक, भरे गए रिक्त पदों का, विशेषकर उत्तर प्रदेश राज्य के संदर्भ में, राज्य-वार एवं वर्ष-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

**शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जयन्त चौधरी)**

(क) से (घ): शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची का एक विषय होने के कारण, देश के अधिकांश स्कूल संबंधित राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के प्रशासनिक नियंत्रण में हैं। तदनुसार, शिक्षकों की भर्ती, सेवा शर्तें और तैनाती संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनिक क्षेत्राधिकार में आती हैं। सरकारी स्कूलों में स्वीकृत शिक्षण पदों और रिक्त शिक्षण पदों से संबंधित आंकड़े, जिसमें राज्यवार और श्रेणीवार विवरण शामिल हैं, उत्तर प्रदेश राज्य सहित, संबंधित राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा रखे जाते हैं।

यूडाइज + के अनुसार, देश भर के सरकारी स्कूलों में वर्ष 2023-24, 2024-25 और 2025-26 के दौरान कार्यरत शिक्षकों के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण अनुलग्नक में दिए गए हैं।

शिक्षकों की भर्ती संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा उनके भर्ती नियमों और प्रक्रियाओं के अनुसार एक निरंतर प्रक्रिया है। सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र, बढी हुई छात्र नामांकन के परिणामस्वरूप नए पदों का सृजन और नए स्कूलों की स्थापना जैसे कारकों के कारण समय-समय पर रिक्तियां उत्पन्न होती हैं। ऐसी रिक्तियों को भरने की समय-सीमा भी संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा निर्धारित की जाती है।

केंद्र सरकार अपनी ओर से, 2009 के शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम के तहत निर्धारित मानदंडों के अनुसार स्कूली शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर उचित विद्यार्थी-शिक्षक अनुपात (पीटीआर) बनाए रखने के लिए समग्र शिक्षा की केंद्र प्रायोजित योजना के तहत पात्र राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। हालाँकि, शिक्षक पदों का अनुमोदन, सृजन और भरना संबंधित राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की जिम्मेदारी है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी), 2020 का पैरा 2.3 प्रत्येक स्कूल में 30:1 से कम और सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित छात्रों के उच्च अनुपात वाले क्षेत्रों में 25:1 से कम विद्यार्थी-शिक्षक अनुपात (पीटीआर) बनाए रखने पर जोर देता है। यूडाइज+ 2025-26 रिपोर्ट के अनुसार, राष्ट्रीय स्तर पर पीटीआर प्राथमिक स्तर पर 19, उच्च प्राथमिक स्तर पर 17, माध्यमिक स्तर पर 15 और उच्च माध्यमिक स्तर पर 23 है, जो एनईपी 2020 के तहत परिकल्पित मानदंडों के भीतर है।

इसके अलावा, केंद्र सरकार समय-समय पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सलाह देती है कि वे शिक्षकों के रिक्त पदों को स्वायत्त शिक्षक भर्ती बोर्डों या समान संगठनों के माध्यम से पारदर्शी और योग्यता-आधारित भर्ती प्रक्रियाओं के द्वारा भरें। प्रतिस्पर्धी चयन के माध्यम से शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने की प्रगति, जिसमें निरंतरता और पवित्रता का उचित ध्यान रखा गया हो और प्रौद्योगिकी-आधारित व्यापक शिक्षक आवश्यकता योजना और पूर्वानुमान अभ्यास के बाद किया गया हो, की समीक्षा स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ समय-समय पर की जाती है।

"प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों की स्थिति" के संबंध में माननीय संसद सदस्य श्री जावेद अली खान द्वारा दिनांक 05/08/2026 को पूछे गए राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1943 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

देश में सरकारी स्कूलों में पदस्थ शिक्षकों की संख्या

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	शिक्षकों की संख्या		
	2023-24	2024-25	2025-26
भारत	5037671	5149771	5134623
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	4446	4811	4758
आंध्र प्रदेश	197378	194297	201125
अरुणाचल प्रदेश	16706	16458	16288
असम	225859	218363	216716
बिहार	486541	522200	536061
चंडीगढ़	5260	5195	5518
छत्तीसगढ़	188721	188578	186139
दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	3080	3194	3264
दिल्ली	87000	86095	83384
गोवा	3117	3401	3805
गुजरात	198495	191577	194679
हरियाणा	93859	101670	100969
हिमाचल प्रदेश	66081	66694	66267
जम्मू और कश्मीर	96380	94202	91569
झारखंड	117726	117039	116372
कर्नाटक	192358	195656	193644
केरल	82703	82748	82601
लद्दाख	4723	5107	5289
लक्षद्वीप	911	751	729
मध्य प्रदेश	321372	393210	399970
महाराष्ट्र	228491	231247	223687
मणिपुर	17512	17471	16970
मेघालय	22698	22827	20297
मिजोरम	13260	14389	14239
नगालैंड	18627	18527	18195
ओडिशा	212181	218162	213165
पुदुचेरी	4733	4737	4959
पंजाब	126136	122463	122813
राजस्थान	434061	445073	441070
सिक्किम	11575	10949	10933
तमिलनाडु	234167	221944	221451
तेलंगाना	148456	154956	156178

त्रिपुरा	28710	27601	26881
उत्तर प्रदेश	630075	632186	627124
उत्तराखंड	59391	59334	59401
पश्चिम बंगाल	454882	456659	448113

(यूडाइज+ के अनुसार)